भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3525
उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

सरकारी स्कूलों का उन्नयन

3525. डॉ॰ रमापति राम त्रिपाठीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी स्कूलों के उन्नयन और उन्हें सभी सुविधाओं से लैस करने के लिए केन्द्र प्रायोजित कोई योजना है; और
(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आवंटित की गयी निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : जी, हां। समग्र शिक्षा - एक समेकित स्कूल शिक्षा योजना को वर्ष 2018-19 से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व में संचालित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) तीन केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। यह प्री-स्कूल से कक्षा XII तक स्कूल शिक्षा क्षेत्र हेतु एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका लक्ष्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निरंतर 'स्कूल' की परिकल्पना की गई है।

इस योजना के तहत प्रमुख अंतक्षेप हैं : (i) अवसंरचना विकास और प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच (ii) जेंडर और समानता (iii) समावेशी शिक्षा (iv) गुणवत्ता (v) शिक्षक वेतन हेतु वित्तीय सहायता (vi) डिजिटल पहलें (vii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत वर्दी, पाठ्यपुस्तकें आदि सहित पात्रता (viii) प्री-स्कूल शिक्षा (ix) व्यावसायिक शिक्षा (x) खेल और शारीरिक शिक्षा (xi) शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण

का सुदृढ़ीकरण (xii) योजना की निगरानी। अन्य बातों के साथ-साथ इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(i) स्कूलों का वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक उन्नयन के माध्यम से शामिल न किए गए क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा सुविधाओं का विस्तार कर गुणवत्तायुक्त स्कूल शिक्षा की सार्वभौमिक पंहुच।

(ii) पर्याप्त अवसंरचना की उपलब्धता को सुनिश्चित करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे हैं।

(iii) पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 5000 रूपये से 20000 रूपये प्रति स्कूल वार्षिक अनुदान।

(iv) 25,000 रूपये से 1 लाख तक वार्षिक कंपोजिट स्कूल अनुदान और इसका आवंटन स्कूल नामांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें से कम से कम 10% स्वच्छता कार्य योजना से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करना अपेक्षित है।

(v) खेल उपकरणों के लिए 5000/- रूपए प्राथमिक विद्यालयों, 10,000 रूपये उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 25000/- रूपए की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए वार्षिक अनुदान।

(vi) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए 3,500 रूपये प्रति वर्ष प्रति बच्चा आवंटन, जिसमें सीडब्लूएसएन बालिकाओं को कक्षा-I से XII तक 200 रूपये प्रति माह का वजीफा शामिल है।

(vii) वर्दी के लिए 600 रूपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष आवंटन।

(viii) पाठ्यपुस्तकों के लिए 250/400 रूपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष आवंटन।

(ix) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक स्तरोन्नयन।

(x) शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जैसी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का सशक्तिकरण।

(xi) स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्डो और डायरेक्ट टू होम चैनलों द्वारा स्कूल शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग।

(xii) अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रतिपूर्ति सहित आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षत्रों की सहायता करना।

(xiii) कठिन क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों और छात्रावासों की स्थापना।

(xiv) इस योजना में स्कूल अवसंरचना की अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए मौजूदा स्कूल भवनों, शौचालयों और अन्य सुविधाओं के वार्षिक रखरखाव और मरम्मत की भी व्यवस्था है।

(ख) : समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान जारी केंद्रीय भाग का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण संलग्न है।

*****

संलग्नक

'सरकारी स्कूलों का उन्नयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा दिनांक 15.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3525 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

वर्ष 2018-19 के दौरान समग्र शिक्षा के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी किए गए केंद्रीय भाग का वाला विवरण

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2018-19 में जारी केंद्रीय भाग
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2180.33
2	आंध्र प्रदेश	95096.76
3	अरुणाचल प्रदेश	33048.80
4	असम	157072.23
5	बिहार	305837.73
6	चंडीगढ़	7714.56
7	छत्तीसगढ़	88206.43
8	दादर और नगर हवेली	3462.38
9	दमन और दीव	631.22
10	दिल्ली	13981.74
11	गोवा	1353.03
12	गुजरात	67089.17
13	हरियाणा	57841.95
14	हिमाचल प्रदेश	43295.44
15	जम्मू और कश्मीर	171776.09
16	झारखंड	68596.00
17	कर्नाटक	62784.00
18	केरल	25604.99
19	लक्षद्वीप	265.07
20	मध्य प्रदेश	243783.65
21	महाराष्ट्र	95051.92
22	मणिपुर	25202.01
23	मेघालय	23784.62
24	मिजोरम	14630.41
25	नगालैंड	19766.33
26	ओडिशा	123021.51
27	पुडुचेरी	804.88
28	पंजाब	44400.00
29	राजस्थान	262721.45
30	सिक्किम	6624.19
31	तमिलनाडु	147444.01
32	तेलंगाना	68840.41

33	त्रिपुरा	24896.48
34	उत्तर प्रदेश	462541.04
35	उत्तराखंड	51138.26
36	पश्चिम बंगाल	108934.52
कुल		**2929423.61**